

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)

जिला : सागर पुलिस स्टेशन मोतीनगर वर्ष 2015 प्र.सू.प.क्र. 258/15 दिनांक 16/04/2015

विधान : धाराएं :
COPY RIGHT ACT 51, 63

संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्रं:-

घटना का दिन गुरुवार दिनांक:- 16/04/2015 समय: 13:00

सूचना प्राप्त होने का दिनांक :- 16/04/2015 समय:- 14:30 रो. सा. क्र. 0

सूचना का प्रकार :- मौखिक

थाने से दिशा व दूरी :- 1 किमी उत्तर

घटना स्थल का पता :- ओम शाईराम मोबाईल शॉप खुरई रोड बस स्टेड सागर बीट नं. सुभाषनगर क.1

घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार का है तो थाना:- जिला

अभियोगी/सूचनाकर्ता का नाम :- राज्य शासन की ओर से सउनि आर.डी.उपाध्याय

पिता का नाम:-

जन्म दिनांक/वर्ष 0 राष्ट्रीयता:- भारतीय

पासपोर्ट जारी दिनांक:- जारी होने का स्थान

व्यवसाय नौकरी पुलिस विभाग पता थाना मोतीनगर सागर

ज्ञात/अज्ञात आरोपी का पूर्ण विवरण:-

1) अंकित सेन उम्र 23 पिता प्रकाशचन्द्र सेन पता खुरई बस स्टेड थाना मोतीनगर सागर

अभियोगी सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण :

अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण:-

तीन नग मेमोरी कार्ड जिनमें विभिन्न प्रकार की फिल्में एवं गाने रिंग टोन आदि डाउनलोड किये गये हैं। जिनमें मुख्य अतः यारियों, क्यों कि, किक, आशकी 2, बॉडीगार्ड, पार्टनर फिल्मों के गाने प्रमुख हैं। एक मोनीटर, एक सी.पी.यू इन्टेक्स कम्पनी का, एक की बोर्ड, कार्ड रीडर।

अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य:- 0

मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक:-

प्रथम सूचना विवरण :-

मैं थाना मोतीनगर में सउनि के पद पर पदस्थ हूँ आज दिनांक 16.4.15 को आवेदक प्रशांत सेहगल सुपर कैसिट इन्डटीज प्राईवेट लिमिटेड ने एक लिखित आवेदन पत्र ओम शांईराम मोबाईल खुरई बस स्टेड सागर द्वारा अनाधिकृत रूप से फिल्मो गानो आदि का डाउनलोड कर व्यापार करने बाबत् पेश किया है जिसकी तस्दीक हेतु मय प्र.आर 1180 के.के.मिश्रा के एवं प्रार्थी प्रशांत सेहगल एवं अभिनाष मिश्रा के खाना होकर ओम शांईराम मोबाइल शॉप खुरई बस स्टेड सागर पहुंचे दुकान चैक किया गया जिसमें तीन नग मेमोरी कार्ड जिसमें विभिन्न प्रकार की फिल्में एवं गाने मुख्य अतः यारियों ,क्यों कि ,किक,आशकी 2,वाडीगार्ड ,पार्टन आदि फिल्मो के गाने प्रमुख है तथा एक मोनीटर ए.ओ.सी कम्पनी का एक सी.पी.यू इन्टेक्स कम्पनी का एवं एक की वार्ड आई.वाल कम्पनी का एक कार्ड रीडर डीवा कम्पनी का जिसमें उपयोग कम्प्यूटर में से मेमोरी कार्ड में गाना इत्यादि कापी करने के लिये किया जाता है। मिलने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 51,63 कापी राईट एक्ट 1957 एक्ट के तहतविधिवत आरोपी अंकित सेन पिता प्रकाशचन्द्र सेन निवासी खुरई बस स्टेड सागर से विधिवत जप्ती किया गया बाद आरोपी को गिरफतार किया गया जमानतदार मौके पर प्रस्तुत नही करने से थाना लाया गया जप्ती माल मुताबिक जप्ती पत्रक के एच.सी.एम को सुर्पुद किया गया । प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा

COPY RIGHT ACT 51, 63

का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा

स0उप निरीक्षक आर.डी.उपाध्याय

को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या जो क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना

जिला

को स्थानांतरित किया गया या द.प्र.सं. की धारा 157 ब के

अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र.सू.पत्र पढवाकर/पढकर सुनाया गया, जिन्होंने सही सही अभिलिखित होना स्वीकार किया। इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गई।

अभियोगी /सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

नाम:- आर.डी.उपाध्याय

पद:- स0उप निरीक्षक

नं. यदि हो तो:-

माननीय न्यायालय